सस्टेनेबल सेनिटेशन एलांइन्स

सुसाना
बेहतर सतत् स्वच्छता समाधान की ओर
वर्जन 1.2 (फरवरी 2008)

परिचय

स्वच्छता क्षेत्र में तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता स्पष्ट है, यह ध्यान में रखते हुये कि सम्पूर्ण विश्व में 260 करोड़ (2.6 बिलियन) व्यक्ति उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं से वचिंत है तथा स्वच्छता सम्बंधी बीमारियो तथा दुबर्ल स्वास्थ्यकर स्थिति के फलस्वरूप प्रति वर्ष 22 लाख मृत्यु (अर्धिकाशतय 5 वर्ष से कम के बच्चे) होती है।

सयुक्त राष्ट्र द्वारा, न्युयार्क में सन् 2000 मे आयोजित 'मिलेनियम समिट' तथा सन् 2002 में जोहन्सबर्ग मे आयोजित 'सतत् विकास पर विश्व समिट (डब्लू0 एस0एस0डी0) के दौरान, गरीबी समाप्त करने तथा सतत् विकास की प्राप्ति हेतु मिलेनियम डब्लवमेन्ट गोल(एम0डी0 जी0) की श्रंखला विकसित की गई। जलापूर्ति व स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के लिये बनाये गये विशेष लक्ष्य के अर्न्तगत सन् 2015 तक स्वच्छ जल तथा स्वच्छता सुविधाओं की पंहुच से वंचित जनसंख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जैसा कि डब्लू0एच0ओ0 तथा यूनिसेफ के सयुक्त अनुश्रवण कार्यक्रम तथा यू0एन0डी0पी0 की मानव विकास रिर्पोट में दर्शाया गया है कि मिलेनियम डब्लवमेन्ट गोल के स्वास्थ्य सम्बधी लक्ष्यो की प्रगति अत्यधिक धीमी है तथा नियोजित संख्या तथा वर्तमान स्थिति में अत्यधिक अंतर है, विशेषतयः सब सहारा अफ्रिका तथा एशिया के कुछ भागो में।

उपरोक्त स्थिति हेतु कई कारण है। सबसे मुख्य मुददा यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि स्वच्छता समाज के लिये अति आवश्यक है, राजनितिज्ञो तथा जन सम्बधी संगठन द्वारा विरले ही स्वच्छता के प्रति आवश्यक प्राथमितिकता तथा ध्यान दिया गया है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता की वकालत करने हेतु राजनैतिक संकल्प का मुख्यत अभाव ही रहा है। इन सबके फलस्वरूप स्वच्छता को जलापूर्ति योजनाओं के रूप में ही लिया गया है, जिसका उदाहरण है कि इस क्षेत्र में सीमित नवीन विचार तथा कार्य।

सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2008 को 'अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष' (आई0वाई0एस0)से घोषित करने के निर्णय से प्रोत्साहित होते हुये, स्वच्छता के क्षेत्र मे सक्रिय संगठनो के समूह ने आई0वाई0एस0 को समर्थन प्रदान करने के लिये 'कार्यकारी दल' को गठन करने की पहल की। जनवरी 2007 में आयोजित प्रथम बैठक के फलस्वरूप कई संगठनों के प्रतिभागियो द्वारा वचनबद्वता दी गई, तथा सतत् स्वच्छता को बढावा देने के लिये 'सयुक्त कार्य योजना' का प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया गया। दूसरी बैठक के दौरान, जोकि मध्य अप्रैल में आयोजित की गई थी, इस विश्वस्तरीय जानकारो का समूह बनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया तथा सयुक्त कार्य योजना की समीक्षा की गई।

सभी नियोजित गतिविधियों के लिये सयुक्त सहमति प्राप्त करने के लिये तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से एकसार होने के लिये 'सतत् स्वच्छता मैत्रीदल' या 'सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स'(सुसाना) का गठन किया गया।

सतत् स्वच्छता/ सस्टनेविल सैनिटेशन क्या है?

स्वच्छता प्रणाली/ सुविधाओ का मुख्य उद्देश्य, स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर बीमारियों की श्रंखला को तोड़कर मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा देना तथा स्वास्थ्य प्रसार करना है। स्वच्छता सुविधाओं के स्थायित्व के लिये इसका सिर्फ आर्थिक रूप से व्यावहारिक होना, समाजिक सहमति प्राप्त होना तथा तकनीकी व संस्थागत रूप से अनुकुल होना ही आवश्यक नहीं हैं, वरन इसके द्वारा पर्यावरण व प्राकतिक संसाधनों का भी बचाव होना चाहिए।

1. स्वास्थ्य एव स्वास्थ्यकर स्थिति : इसके अर्न्तगत जोखिमपूर्ण पदार्थो तथा रोगाणुओ से एक्सपोजर या प्रदर्शित होने का खतरे, जोकि मानव स्वास्थ्य को, स्वच्छता प्रणाली के विभिन्न भागो के द्वारा प्रभावित कर सकता है, इसके अर्न्तगत शौचालय के एकत्रिकरण तथा उपचार तन्त्र से लेकर पुनःउपयोग अथवा निपटान तथा प्रभावित अनुप्रवाह जनसंख्या शामिल है। इस भाग में विशेष प्रकार की स्वच्छता सुविधाओ के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले घटको जैसे स्वास्थ्यकर स्थिति /आरोग्य,पोषण, अजिविका सुधार तथा अनुप्रवाह पर असर जैसे बिन्दुओं को भी शामिल किया गया है।

2. पर्यावरणीय तथा प्राक'तिक ससांधनः इसके अर्न्तगत स्वच्छता प्रणाली के निर्माण, संचालन व रखरखाव के लिये उपयोग की जाने वाली वांछित उर्जा, जल तथा अन्य प्राक'तिक ससांधन तथा साथ ही इनके उपयोग से संम्भावित उत्सर्जिन का पर्यावरण पर प्रभाव शामिल है। इसके साथ ही पुनः निर्माण तथा पुनः उपयोग की मात्रा तथा इनके प्रभाव(उदाहरणः अपशिष्ठ जल का पुनः उपयोग, पोषक तथा कार्बनिक तत्वो की कृषि में वापसी) तथा अन्य अ-नवीनीकरण ससांधनो का सरंक्षण(उदाहरण के लिये बायोगैस जैसे नवीनीकरण उर्जा के उपयोग द्वारा)।

3. तकनीक तथा संचालनः इसमे सम्पूर्ण स्वच्छता प्रणाली के घटको जैसे एकत्रिकरण, ढोहन,उपचार तथा पुनः उपयोग तथा/ अथवा अन्तिम निस्तारण के प्रति सहुलियत तथा कुशलता की चर्चा की गई है, जिसका स्थानीय समुदाय तथा/ अथवा स्थानीय प्रणाली के तकनीकी दल द्वारा निर्माण, संचालन तथा अनुश्रवण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता प्रणाली की मजबूती, नियमित विधुत आपूर्ति अनुपलब्धता, जल संकट, बाढ़ आदि के प्रति सवेंदनशीलता तथा वर्तमान बुनियादी सरंचनाए, जनसंख्या तथा समाजिक-आर्थिक विकास के प्रति प्रणाली के तकनीकी घटको का लचीलापन तथा अनुकूलशीलता जैसे पहलुओं का मूल्याकन करने की आवश्यकता है।

4. वित्तीय तथा आर्थिक बिन्दुः यह परिवार तथा समुदाय के स्वच्छता के प्रति वित्तीय क्षमता से जुड़ा हुआ है। इसमे निमार्ण, संचालन,रखरखाव तथा आवश्यक होने पर पुनः निवेश शामिल है। उपरोक्त प्रत्यक्ष लागत के मूल्यांकन के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ, उदाहरण पुनः निर्माण से प्राप्त उत्पाद (मृदा कंडीशनर,खाद,उर्जा तथा पुनर्निर्मित जल) तथा बाहरी लागत तथा लाभ की भी गणना की जानी चाहिए। उपरोक्त बाहरी लागत के उदाहरण पर्यावरणीय प्रदूषण तथा स्वास्थ्य जोखिम,जबकि फायदे के अन्तर्गत कृषि उत्पादकता,अजिविका आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन,बेहतर स्वास्थ्य तथा घटते पर्यावरणीय जोखिम शामिल है।

5. सामाजिक-सास्कृर्तिक तथा सस्थागत पहलुः इस श्रेणी के अर्न्तगत स्वच्छता प्रणाली की समाजिक व सास्कृर्तिक स्वीकारिता तथा उपयुक्तता, प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण,लिंग सम्बधी मुददे,मानव आत्म सम्मान पर पभाव,इसका खाद्य सुरक्षा पर भूमिका, कानूनी ढ़ाचे का अनुपालन तथा स्थिर व कुशल संस्थागत व्यवस्था का मूल्याकन करना है।
तथा इनके प्रभाव(उदाहरणः अपशिष्ठ जल का पुनः उपयोग, पोषक तथा कार्बनिक तत्वो की कृषि में वापसी) तथा अन्य अ-नवीनीकरण ससांधनो का सरंक्षण(उदाहरण के लिये बायोगैस जैसे नवीनीकरण उर्जा के उपयोग द्वारा)।

प्रायः स्वच्छता सुविधाओ को, उपरोक्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुये डिजाइन किया जाता है,परन्तु व्यवहार मे यह अधिकतर खरे नहीं उतर पाते क्योंकि कुछ मानको पूर्ण नहीं किया जाता है। यद्यपि कोइ भी प्रणाली पूर्णत् सतत् नहीं है। सतत्ता का विचार किसी एक स्थिति का सूचक ना होकर, मार्गनिर्देशक है। फिर भी, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता सुविधाओ को सतत्ता के सभी मानको पर सही प्रकार से मूल्याकित किया जाये।

चूकिं सभी के लिये एक जैसा स्वच्छता समाधान उपलब्ध नहीं है, जोकि विभिन्न परिस्थितियो में सतत्ता के मानको पर सामान रूप से खरे उतरे, अतः यह मूल्यांकन स्थानीय ढ़ाचे पर निर्भर करेगा। इस हेतु वर्तमान पर्यावरणीय,तकनीकी, समाजिक-सास्कृर्तिक तथा आर्थिक परिस्थितियो को विचार मे रखा जाना चाहिए। स्वच्छता सुविधाओ के नियोजन व क्रियान्वयन के दौरान, सतत्ता मानक के सम्पूर्ण घटको पर विचार करते समय कुछ मूलभूत नियमो का अवलोकन करना आवश्यक है।

यह सिफारिशे कुछ वर्ष पूर्व विशेषज्ञो के समूह द्वारा विकसित किये गये थे, जिसको नबंवर 2000 मे आयोजित पांचवी विश्व फोरम के दौरान' बेलेजिओ प्रिंसिपल फार सस्टनेविल डब्लबमेनट' के रूप में वाटर सप्लाई व सैनिटेशन कोलावोरेशन काउंसिल के सदस्यो द्वारा समर्थन भी प्रदान किया गया था।

1. मानव गरिमा, जीवन की गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को, स्वच्छता प्रस्ताव के केन्द्र बिन्दु पर रखा जाना चाहिए।

2. निपुण प्रशासन/संचालन के नियम तथा निर्णय क्षमता को पूर्ण करने हेतु सभी हिस्सेदारो, विशेषतयः सुविधाओ के उपभोक्ता तथा दाता का प्रतिभाग सुनश्चित किया जाना चाहिए।

3. अपशिष्ठ को ससांधन समझा जाना चाहिए, तथा इसका सम्पूर्ण प्रबन्धन, समन्वित जल ससांधन, पोषण प्रवाह तथा अपशिष्ठ प्रबन्धन प्रकिया का भाग होना चाहिए।

4. पर्यावरणीय स्वच्छता समस्याओ के समाधान को व्यवहारिक रूप से कम से कम दायरे में किया जाना चाहिए (परिवार,समुदाय,कस्बा,जिला,केचमेन्ट तथा शहर)।

सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स के लक्ष्य व उद्देश्य (सुसाना)

सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स का सम्पूर्ण लक्ष्य, उन स्वच्छता प्रणाली/ सुविधाओ को बढ़ावा देने हेतु योगदान देना है जिनमे सतत्ता के सभी घटको को शामिल किया गया है।

मिलेनियम डल्लवमेन्ट गोल तथा सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 'अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष' (आई0वाई0एस0) को सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स द्वारा अत्यधिक सराहा गया क्योंकि इनके कारण स्वच्छता को राजनैतिज्ञ कार्ससूची मे उच्च स्थान प्राप्त होगा।

सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स

उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स का मुख्य केन्द्र बिन्दु, सतत् स्वच्छता प्रणाली को बृहद जल व स्वच्छता योजनाओ में कियान्वयित करने हेतु बढ़ावा देना होगा जोकि डब्लू0 एच0ओ0, यू0एन0डी0पी0-पेप, यू0एन0एस0जी0ए0बी0 तथा यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित रणनीति के अनुसार है।

सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स (सुसाना) के सामान्य उद्देश्यः

- विश्व में सतत् स्वच्छता विचार के प्रति जागरूकता फैलाना तथा उसे बढ़े स्तर पर बढ़ाना।

- यह जोर देना कि सम्पूर्ण मिलेनियम डब्लवमेन्ट गोल(एम0डी0 जी0) की प्राप्ति के लिये सतत् स्वच्छता प्रणाली का होना प्राथमिक आवश्यकता है।(उहाहरण;वच्चो की मृत्यु दर को कम करना,महिला को सशक्त करना, पर्यावरणीय सतत्ता को सुनश्चित किया जाना, अजिविका को बढ़ावा देना तथा गरीबी को कम करना।

- यह प्रदर्शित करना कि किस प्रकार सतत् स्वच्छता योजनाओ का शुरूआती चरण में सभी सहभागियो का प्रतिभाग कर नियोजन किया जाये, उपभोक्ता की पसन्द तथा पहल पर विचार करे तथा यह सभी सतत् जल व बेकारजल प्रबंधन के अर्न्तगत आरोग्य। विस्तार तथा क्षमता वृद्वि की गतिविधियों के साथ साथ चलनी चाहिए।

सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स (सुसाना) के विशेष उद्देश्यः

- उन जानकारियो को एकत्रित करना जोकि निर्णय लेने वालो (जन सस्थाओं को मिला कर) को पूर्ण सतत्ता मानको के अनुसार विभिन्न स्वच्छता प्रणाली तथा तकनीको के प्रति जानकारी प्राप्त करने में सहयोग देना जिससे सही निर्णय लिया जा सके।

- यह प्रदर्शित करना कि किस प्रकार स्वच्छता प्रणाली, जो कि मृदा कंडीशनर,खाद,उर्जा,बायोगैस तथा सिंचाई हेतु जल उत्पादन करती है, के द्वारा स्वच्छता से परे भी अन्य मिलेनियम डब्लवमेन्ट गोल को प्राप्त किया जा सकता है। तथा इस प्रकार वर्तमान रूप में निस्तारण पर केन्द्रित व्यवस्था को पुनः उपयोग की ओर प्रवृत किया जा सकता है।

- अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष 2008 तथा उसके पश्चात् भी स्वच्छता के क्षेत्र में 'जोरदार कार्य' के उदाहरण की जानकारी प्राप्त करना।

- सतत् स्वच्छता प्रणाली के अधिकतम क्रियान्वयन के तरीको को चिंह्नित तथा अंकित करना जिसमे गरीबों के प्रति स्वच्छता उपलब्धता हेतु धन व्यवस्था पर विचार करना भी शमिल है।
- सतत् स्वच्छता के विश्व तथा क्षेत्रीय स्तरीय खाका तैयार करना जोकि सतत् स्वच्छता द्वारा स्वच्छता मिलेनियम डब्लवमेन्ट गौल को प्राप्त करने मे सहायक हो तथा इसे 'अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष' के दौरान तथा उसके पश्चात भी बढ़ावा दे।

इसके उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाये? संयुक्त कार्ययोजना प्रस्ताव

उपरोक्त उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिये, जनवरी तथा अप्रैल 2007 मे आयोजित बैठक में 30 से अधिक अन्तराष्ट्रीय सस्थाओ, स्वंय सेवी सस्थाओ तथा अनुसधान संस्थान के प्रतिभगियो द्वारा, अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष के दौरान सतत् स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियो के लिये संयुक्त कार्य प्रस्ताव तैयार किया गया। कार्ययोजना प्रस्ताव विषय आधारित कार्यकारी समूहो की श्रंखला से परिपूर्ण है, जिसका उत्तरदायित्व सयुक्त रूप से सतत् स्वच्छता से सम्बधित प्रकाशन का विस्तार करना, अन्तरराष्ट्रीय समारोह को आयोजित या उसमें योगदान करना, नये धन उपलब्ध कराने वाले साधन हेतु, योजनाओ तथा क्षमता वृद्वि की गतिविधियों हेतु योगदान देना होगा।

सस्टनेविल सेनिटेशन एलांइन्स (सुसाना) अन्य सहयोगीयो को हमसे जुड़ने हेतु निमंत्रित करता हैं

सुसाना कोई नई संगठन नहीं है,बल्कि यह एक दिशा में कार्य कर रही कई संगठनो का अनाधिकारिक तन्त्र है जोकि उन सभी का स्वागत करती है जो कि सस्टनेविल सेनिटेशन सिस्टम के लिये कार्य कर रहे है। सुसाना, अन्य अन्तरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सस्थाओ को नेटवर्क से जुड़ने, सुझाव देने तथा विषय आधारित कार्यकारी दलो (रोड मैप) मे सक्रिय सदस्य के रूप में योगदान करने हेतु आमंत्रित करती है।

संयुक्त कार्ययोजना की प्रगति के लिये सुझाव का निश्चय ही प्रशंनीय है क्योकि यह कार्य प्रगति पर है तथा हमेशा इसका नवीनीकरण होता रहेगा तथा इसमें सस्टनेविल सेनिटेशन के अधिकतम कियान्वयन के लिये सभी संयुक्त गतिविधियो को सम्मिलित किया जायेगा।

अन्य जानकारीयो के लिये सम्पर्क करे।
info@susana.org
www.susana.org
रोलैंड शेरटनलाइब (EAWAG-SANDEC)
आर्ने पानेसर (GIZ)

सुसाना
बेहतर सतत् स्वच्छता समाधान की ओर
वर्जन 1.2(फरवरी 2008)

सम्बधित साहित्य

GTZ (2003): जी0टी0जेड0 (2003) पर्यावरणीय स्वच्छता पर ल्यूबिक सिम्पोजियम,अप्रेल 2003 से कार्य हेतु 10 सिफारिशे। http://www.gtz.de/de/dokumente/en-ecosan-recommendations-for-action-2003.pdf

आइवा (2007) जटिल स्वच्छता हेतु सरल तरीके। विश्लेषण के लिये ड्राफ्ट ढ़ाचा।, http://www.iwahq.org/uploads/iwa%20hq/website%20files/task%20forces/sanitation%2021/Sanitation21v2.pdf

एस0ई0आई0 (2005) मिलेनियम डल्लबमेन्ट गोल प्राप्त करने के सतत् मार्ग- जल, उर्जा तथा स्वच्छता की भूमिका का आकंलन। http://www.ecosanres.org/pdf_files/MDGRep/MDG_folder.pdf

सुसाना (2007): सतत् स्वच्छता के प्रोत्साहन हेतु सयुक्त राष्ट्र के अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष के दौरान संयुक्त कार्ययोजना। http://www2.gtz.de/Dokumente/oe44/ecosan/nl/en-susana-joint-road-map-iyos-2008.pdf

यू0एन0डी0पी0-एच0डी0आर0(2006) : मानव विकास रिर्पोट 2006- संकट से परेः शक्ति,गरीबी तथा विश्व जल संकट। . http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf

यू0एन0डी0पी0-पेप (2006), पर घटाने तथा जल प्रबन्धन पर 'गरीबी पर्यावरण भागीदारी पर सयुक्त एंजेसी पेपर'। http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/resources/povertyreduc2.pdf

यूनेस्को-जी0टी0जेड0 (2006) पर्यावरणीय स्वच्छता हेतु क्षमता वृद्वि। http://www2.gtz.de/Dokumente/oe44/ecosan/en-ecosan-capacity-building-2006.pdf

यू0एन0एस0जी0ए0बी0 (2006) : हसीमोटो कार्य योजना। http://www.unsgab.org/Compendium_of_Actions_en.pdf

डब्लू0एच0ओ0 (2006): वेस्ट वाटर, एक्सक्रिटा तथा ग्रे- वाटर के कृषि तथा मछली पालन उपयोग हेतु निर्देशिकाओं की श्रंखला। http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/index.html

डब्लू0एस0एस0डी0/ सेन्देक (2000)। बेलेजिओ स्टेटमेंट फार सस्टनेविल सेनिटेशन। http://www.eawag.ch/organisation/abteilungen/sandec/publikationen/publications_sesp/downloads_sesp/Report_WS_Bellagio.pdf ©

© प्रतिलिप्याधिकार (कोपीराईट) सूचना

सभी SuSanA सामग्री उन्मुक्त उपयोग अनुज्ञप्ति CC-BY SA के अंतर्गत उपलब्ध हैं। सामग्री उपयोग करने पर उचित अभिस्वीकृति अवश्य देनी चाहिए! यह अनुज्ञप्ति कथन केवल SuSanA द्वारा (बनाई/विकसित/स्वामित्व) सामग्री के लिए है, परन्तु SuSanA पुस्तकालय (library) या SuSanA वेबसाइट पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अपलोड (डाले गए) दस्तावेजों और प्रस्तुतियों पर लागू होना अनिवार्य नहीं है। अन्य व्यक्तियों द्वारा अपलोड (डाले गए) दस्तावेजों के लिए कृपया उनकी अनुज्ञप्ति स्थिति को ध्यानपूर्वक देख (जांच) लें! किसी भी स्थिति में आप सदैव सुनिश्चित करें कि, स्रोत की उचित अभिस्वीकृति दी गयी है!